डीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No. HQ/PIO/RTI/252/14 **Dt: 13.11.2014**

Sh. Patiram,
S/o Sh. Girdhari Lal,
Kakrahi Bazar, Diviyapur,
District Auraiya-206244.

Sub: Informatin under RTI Act-2005.
Ref: Your application dtd.09.10.2014, received on 21.10.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:–

बिन्दु 1 व 2:– मा. सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, द्वारा जारी आदेश दिनांक 24 जनवरी 2014 सीपीएम/कानपुर कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। रोजाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत सारे आदेश जारी किए जाते हैं तथा आपके आवेदन से यह स्पष्ट नहीं है कि आप किया चाहते हैं। क्या डी.एफ.सी.सी.आई.एल. इस केस में कोई पार्टी है? इस बारे में कोई जिक नहीं किया गया है। आपने अपने आवदेन पत्र न तो कोई केस संख्या, न ही Petitioner या Respondent का का नाम उल्लेखित किया है। माननीय न्यायालय से कोई भी आदेश आदि प्राप्त करने के कुछ नियम व प्रकिया हैं। आप स्वय भी इनका पालन करके और कोर्ट फीस जमा करके उक्त आदेश प्राप्त कर सकते हैं।

बिन्दु 3:– आपका कथन असत्य एवं निराधार है। आप को अवगत कराना है कि राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना 2007 नीति के अन्तर्गत जिला कानपुर देहात, औरैया एवं इटावा के जिन कास्तकारों ने भुगतान सम्बंधी अपने पत्र डी.एफ.सी.सी. कार्यालय में जमा करा दिये गये है, एवं उसके उपरांत राज्य सरकार के भिन्न–भिन्न जिलों से सत्यापित होकर, पात्र पाये गये कास्तकार को भुगतान डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा किया जा चुका है, अभी तक पात्र सूची अनुसार जिन कास्तकारों को इस नीति के अंतर्गत भुगतान किया जा चुका है, उसका विवरण की तालिका निम्नलिखित है:–

कम सं.	राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन 2007 नीति दिये गये लाभ	कास्तकारों की सं.
1.	एक्शग्रेसिया रू. 20000/–	6119
2.	एक्शग्रेसिया की धनराशि (भूमि का क्षे. 1500 वर्ग मी. से अधिक होने पर रू. 15 प्रति वर्ग मी.	777
3.	लघु व सीमांत किसानों के लिए 750 दिन की दैनिक मजदूरी	37
4.	परगना भत्ता प्रति परिवार रू. 4000/–	64
5.	प्रत्येक प्रभावित परिवार को विस्थापित होने पर एक मुश्त स्थानान्तरण भत्ता रू. 10000/–	57
6.	प्रत्येक परिवार जिसके पास पशु है, के विस्थापित होने पर पशु शेड के निर्माण हेतु रू.15000/–	15
7.	प्रत्येक प्रभावित परिवार व्यक्ति जो एक ग्रामीण दस्तकार, छोटा व्यापारी या राजगार व्यक्ति है के विस्थापित होने पर उस वर्किंग शेड या दुकान के निर्माण के लिए रू. 25000/–	10
8.	बी.पी.एल. एवं वलनरेबल रू. 30000/– व रू. 46800/–	125
9.	ट्रेनिंग भत्ता रू. 4000/–	59

बिन्दु 4:– आपको अवगत कराना है कि आपने शासनादेश का कमांक/दिनांक आदि विवरण नहीं दिया है। अतः विवरण के न होने से आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

13/11/14

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to: 1. CPM/Tundla
2. GM/SEMU/EC

DESPATCH
13/11